

नोटिस

कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस: अ-52/6 G/F अलि एक्सटेंशन बद्रपुर, नई दिल्ली-110044

CIN NO.: U40106DL2020GOI364104

विजली अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (2) के अंतर्गत

1. कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस अ-52/6 G/F अलि एक्सटेंशन बद्रपुर, नई दिल्ली-110044 पर है तथा पत्र व्यवहार का पता यूनिट नं. 101, पहली मंजिल, विडसर गांव, कोलेकल्याण ऑफ सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, सांताक्रुज (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र पर स्थित है, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित है, ने सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन, नई दिल्ली के समक्ष सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन (प्रोसिजर, टर्मर एंड कंडीशन्स फॉर ग्रॉट ऑफ ट्रांसमिशन लाइसेन्स एंड अदर रिलेटेड मैटर्स) रेग्युलेशन्स, 2009 के साथ पठित विजली अधिनियम 2003 की धारा 14, 15, 79(1)(e) के अंतर्गत रेग्युलेटेड टैरिफ मैकेनिज्म (RTM) के जरिए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को कमीशन किए जाने के लिए कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड के लिए लाइसेंस की मांग की है. जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	सबस्टेशन (स्थान) का नाम (ट्रांसमिशन स्कीम का कार्यक्षेत्र)	क्षमता	सीटीयूआईएल द्वारा आकलित लागत	कमीशन होने का शिड्यूल
1	कल्लम पीएस में आरई इंटरकनेक्शन के लिए 220 kV के साथ ट्रांसमिशन क्षमता को 2x500 MVA, 400/220 kV ICTs (तीसरा व चौथा) तक बढ़ाना	i) कल्लम पूर्लिंग स्टेशन को 2x500 MVA तक बढ़ाया जाना • 500 MVA, 400/220 kV ICT: 2 नं. • 400 kV ICT बेज : 2 नं. • 400/220 kV ICTs 220 kV ICT बेज: 2 नं. ii) 3 नं.: RE इंटरकनेक्शन के लिए 220 kV लाइन बेज • 220 kV लाइन बेज: 3 नं. iii) 1x125 MVA बस रिएक्टर (दूसरा) कल्लम पीएस पर • 125 MVA, 420 kV बस रिएक्टर- 1 • बस रिएक्टर बे: 1 नं.	रु. 156.89 करोड़ (कीमत लेवल, 2022) सीटीयू आकलन के अनुसार	नेशनल कमेटी ऑन ट्रांसमिशन द्वारा प्रोजेक्ट का अर्वाइ दिए जाने की तिथि अर्थात 15.11.2022 से 18 महीने
2	टोरेन्ट सोलर पावर प्रा. लि. (TSPPL) के इंटरकनेक्शन के लिए कल्लम पीएस पर 400 kV लाइन बे	400 kV लाइन बे (संबंधित टाई बे सहित)	रु. 17.1 करोड़ (कीमत लेवल, 2022) सीटीयू आकलन के अनुसार	30.12.2024

2. किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए संपूर्ण आवेदन तथा अन्य कागजात वेबसाइट <https://www.indigrd.co.in/documents-manager/> पर उपलब्ध हैं. आवेदक इनका निरीक्षण भी कंपनी के ऑफिस यूनिट नं. 101, पहली मंजिल, विडसर गांव, कोलेकल्याण ऑफ सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, सांताक्रुज (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र-400098 पर श्री पिंकेश कुमार से संपर्क करके या कमीशन के ऑफिस पर कमीशन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके कर सकता है.
3. अगर कोई आपत्तियां या सुझाव हों, तो समाचार पत्र में इस नोटिस/सूचना के प्रकाशित होने से 30 दिनों के अंदर, आवेदक सेक्रेटरी, सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन, तीसरी और चौथी मंजिल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001 के समक्ष, इसकी एक प्रति आवेदक को कॉपीरिटेड ऑफिस के पते पर देते हुए, दर्ज की जा सकती है.

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 20.07.2023

ह/-
मेधाना पंडित
डायरेक्टर